कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य./संस्था/एफ. 1/12155/06/38 दिनांक: 09/05/07

समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक)
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)

विषय: वर्ष 2007-08 में शिक्षा विभागीय कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित कलेण्डर.

विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षा विभागीय कार्मिकों के स्थानान्तरणों हेतु राज्य सरकार के पत्रांक: प.17(1)(शिक्षा-2/02 दिनांक 08/05/07 के द्वारा निम्नानुसार कलेण्डर घोषित किया गया है :-

(01) इच्छुक कार्मिक 20 मई तक निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी को आवेदन करेंगे।

(02) सक्षम अधिकारी द्वारा 10 जून तक आवेदन-पत्रों में दिये तथ्यों की पुष्टि कर पद/संवर्गवार अभिलेख संधारण किया जाकर समीक्षा करेंगे।

(03) सक्षम अधिकारी 11 से 20 जून तक स्थानान्तरण आदेश जारी करेंगे। सक्षम अधिकारी निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन-पत्रों पर ही स्थानान्तरण की कार्यवाही करेंगे।

(04) सक्षम अधिकारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारी एवं शासन को प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे।

निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही हो इसकी सुनिश्चितता की जावे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर